

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या -06 / वि०पत्रा०-24-81 / 2023

पटना, दिनांक—

श्री नवनीत कुमार भारती, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), सारण अंचल-1, छपरा को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-13.04.2025 से 20.04.2025 तक श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) की सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06 / वि०पत्रा०-24-81 / 2023 1680

पटना, दिनांक- 11/04/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा (सारण) / राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नवनीत कुमार भारती, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), सारण अंचल-1, छपरा को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की जाती है कि याचित अवधि की स्वीकृति एच०आर०एम०एस० के माध्यम से करायेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।